Dealer's Commission

339

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

माह अक्टूबर 2015 से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 लागू हो चुका है जिसके पश्चात् भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप जन वितरण प्रणाली दुकानों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाया जाना है। वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या 3131, दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का कमीशन खाद्यान्न वितरण की सभी योजनाओं एवं नमक तथा चीनी वितरण योजना के अन्तर्गत ₹ 45.00 प्रति क्विंटल निर्धारित है।

2. भारत सरकार के पत्रांक 15–44/13–NFSA, दिनांक 07.04.2015 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 लागू होने के उपरान्त जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को मार्जिन के रूप में बेसिक ₹ 70/– प्रति क्विंटल एवं PoS (Point of Sell) डिवाईस के माध्यम से वितरण किये जाने पर ₹ 17.00 प्रति क्विंटल की दर से Additional Margin Money राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की सूचना दी गई है। इसमें 50% राशि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी अर्थात् बेसिक मार्जिन के रूप में ₹ 35.00 प्रति क्विंटल एवं एडिशनल मार्जिन के रूप में ₹ 8.50 प्रति क्विंटल की दर से राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी।

3. वर्तमान में ₹ 45.00 प्रति क्विंटल की दर से डीलर को कमीशन उपलब्ध कराई जाती है एवं जिन FPS दुकानदारों द्वारा PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाता है उन्हें ₹ 7.00 प्रति क्विंटल के दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्यस्तरीय शीर्ष समिति में यह निर्णय लिया गया है कि BOO मॉडल पर PoS के अधिष्ठापन के पश्चात् उपलब्ध कराई जा रही ₹ 7.00 प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि बंद कर दिया जाय।

4. राज्य में BOO मॉडल पर PoS का अधिष्ठापन प्रक्रियाधीन है। इसके अन्तर्गत राज्यस्तर से ही PoS का अधिष्ठापन एवं प्रबंधन किया जायेगा। इसके फलस्वरूप जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को अपने स्तर से इस मद में व्यय की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त परिपेक्ष्य में भारत सरकार से प्राप्त PoS हेतु Additional मार्जिन को मुख्यालय स्तर पर रख कर BOO मॉडल पर व्यय किया जाना श्रेष्यकर प्रतीत होता है।

5. राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानों को आर्थिक रूप से सबल करना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि Forced Leakages की संभावना समाप्त की जा सके एवं दुकानदारों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस परिपेक्ष्य में दुकानों द्वारा वितरित सामग्रियों के कमीशन में वृद्धि अपेक्षित प्रतीत होता है।

6. वर्तमान में जन वितरण प्रणाली के दुकानों द्वारा वितरित किये जा रहे खाद्यान्न, नमक एवं चीनी पर ₹ 45.00 प्रति क्विंटल की दर से कमीशन उपलब्ध कराया जाता है एवं कमीशन की राशि राजकोष से वहन की जाती है।

7. उक्त के आलोक में राजकोष पर अतिरिक्त भार पहुचाएं बिना बजट में उपबंधित राशि, ₹ 45.00 प्रति क्विंटल एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाली मार्जिन मनी ₹ 35.00 प्रति क्विंटल का योगफल ₹ 80.00 प्रति क्विंटल की दर से खाद्यान्न वितरण का कमीशन जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उपलब्ध कराया जायेगा। यही दर (₹ 80.00 प्रति क्विंटल) नमक एवं चीनी वितरण योजना में भी रहेगी। यह बढ़ा हुआ कमीशन माह दिसम्बर 2015 से लागू होगा।

8. नमक एवं चीनी वितरण योजना पर बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि का भार राजकोष से वहन किया जायेगा। यदि इस वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2015 से नमक एवं चीनी वितरण योजना में भी

जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को ₹ 80.00 प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जायेगा तो निम्नवत् अतिरिक्त व्यय राजकोष पर आने की संभावना है–

I. नमक – 5170159 लाभुक परिवार X 1 किलोग्राम प्रतिमाह X 4 माह X (₹ 0.80–0.45 = 0.35) = ₹ 7238222.60

II. चीनी – 5170159 लाभुक परिवार X 1.5 किलोग्राम प्रतिमाह X 4 माह X (₹ 0.80–0.45 = 0.35) = ₹ 10857333.90

इस प्रकार कुल अतिरिक्त व्यय = ₹ 7238222.60+₹ 10857333.90 = ₹ 1,80,95,556.50 (रूपये एक करोड़ अस्सी लाख पंचानवे हजार पाँच सौ छप्पन तथा पैसे पचास) मात्र होगा।

9. भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त मार्जिन मनी ₹ 8.50 प्रति क्विंटल को राज्य स्तर पर मुख्यालय में रखा जायेगा तथा इसे BOO मॉडल के माध्यम से PoS अधिष्ठापन पर व्यय किया जायेगा। इस राशि से भी अधिक राशि व्यय होने की स्थिति में विभागीय End-to-end Computerization योजना मद से इसमें व्यय किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18/12/15

(विनय कुमार चौबे),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 4/खा०आ० (अन्त्योदय परि०–सह–हथा०) 77/2004 – 7577/राँची, दिनांक – 18/12/15

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 4/खा०आ० (अन्त्योदय परि०–सह–हथा०) 77/2004 – 7577/राँची, दिनांक – 18/12/15

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हक0) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 4/खा०आ० (अन्त्योदय परि०–सह–हथा०) 77/2004 – 7577/राँची, दिनांक – 18/12/15

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति)/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – 4/खा०आ० (अन्त्योदय परि०–सह–हथा०) 77/2004 – 7577/राँची, दिनांक – 18/12/15

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशन के उपरांत इसकी 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

18/12/15

सरकार के सचिव।